कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 425/दो—11—22/11 नर्मदापुरम, दिनांक 20.04.2026

श्रीमती शर्मिला उईके, प्रस्तुतकार, न्यायालय द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम का दिनांक 23.02.2026 से 05.04.2026 तक कुल 42 दिवस का लघुकृत अवकाश, स्वीकृत किया जाता है।

उक्त लघुकृत अवकाश, आवेदक के अर्द्धवैतनिक अवकाश लेखे में से दो गुना विकलनीय होगा।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्द्धवैतनिक अवकाश लेखे में 238 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

Sd
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1704/दो—11—22/11 नर्मदापुरम, दिनांक 20.04.2026
यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्रीमती शर्मिला उईके, प्रस्तुतकार को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

20/4/26.
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)